कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक/पंजीयन/2015 5335 नया रायपुर, दिनांक 16/11/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या0,
रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/
अम्बिकापुर/जगदलपुर

विषय :– छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49–ग (2) (ख) का अनुपालन करने बाबत्।

—00—

विषयांतर्गत छ0ग0 सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 49–ग के उपनियम (2) का खण्ड (ख) इस प्रकार है–

"49–ग. अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों से संबंधित नियम –

(1) (क) ××××××

(ख) ××××××

(2) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के मामले में, यदि राज्य सरकार ने उसकी अंशपूंजी में अभिदाय किया हो, तो सोसाइटी के बोर्ड में राज्य सरकार का एक नामिती होगा, जो निम्नानुसार होगा, अर्थात् :–

(क) ××××××

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में संभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नामांकित कोई अधिकारी, जो उप रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न का न हो ;

(ग) ××××××

उपरोक्त शासकीय नामिती, संबंधित सोसाइटी के बोर्ड की बैठक में भाग ले सकेंगे:

परन्तु ऐसे शासकीय नामिती को सोसाइटी के निर्वाचन में मत देने का अधिकार नहीं होगा।"

इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार राज्य की समस्त विद्यमान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों की अंशपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया है। अतएव उक्त नियम का अनुपालन करते हुए सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बोर्ड, की बैठकों की और साधारण सम्मिलनों की सूचना संबंधित संयुक्त पंजीयक को भेजना सुनिश्चित करें।

16/11/2015

(जे0 पी0 पाठक)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

Panjiyan Kaksh/389